


दिनांक	आज्ञा पत्र
31-1-2018	<p>पत्रावली वास्ते आदेशा प्रार्थना पत्र कायम मु० हेतु पेश ।</p> <p>विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपीलान्ट सेवाराज का देहान्त दिनांक 18-7-2016 को हो गया। जिसके विधिक वारिसों में उसकी पत्नी रामप्यारी, पुत्री सुनिता, मंजू तथा पुत्र दलीप व सुरेश है जिनको मृतक सेवाराज के स्थान पर अपीलान्ट बनाया जावे। अपीलान्ट अनपढ़ ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिनको कानूनी जानकारी नहीं है अपीलान्ट को कानून की बारिक जानकारी नहीं होने से अनपढ़ ग्रामीण होने से प्रार्थीगण को अपील में पक्षकार बनाया जावे। अपील में प्रकरण की पैरवी मृतक सेवाराज ही करता था। दिनांक 14-2-2017 को सेवाराज का पुत्र आया तब उसने सेवाराज की मृत्यु के बाबत बताया तब यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दफा-5 प्रार्थना पत्र के अखिलम्ब पेश कर दिया। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्दर मिथाद शुमार कर मृतक सेवाराज के वारिसान को उसके स्थान पर अपीलान्ट बनाया जावे। अपीलान्ट ने बहस के समर्थन में नजीर 2009 2 डीएनजे राज 0 पेज-623, 2015 1 डीएनजे राज 0 पेज-146 पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया तथा रेस्पोंडेन्ट सं०-1 व 2 द्वारा अपील अबैटमेंट प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया गया है। प्रकरण की पैरवी मृतक सेवाराज द्वारा की जाती थी सेवाराज कई दिनों तक पेशी पर नहीं आने पर उसे सूचना की गई तब सेवाराज का पुत्र आया तथा उसने सेवाराज की मृत्यु की सूचना दी जिस पर उ का मु० का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। मैंने मेरे प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया है कि अपीलान्ट ग्रामीण</p>

का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक सेवाराम के स्थान पर अपीलान्ट्स बनाये जावे ।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपीलान्ट सेवाराम का देहान्त दिनांक 18-7-2016 को हो गया जिसका कायम मुकाम प्रार्थना पत्र निर्धारित समय सीमा-90 दिवस के भीतर पेशा नहीं किया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कायम मुकाम प्रार्थना पत्र समय सीमा में पेशा नहीं किया गया है तो वह अपील स्वतः ही अबैट हो जाती है उसके लिये अलग से अबैटमेन्ट के प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है जैसा नजीर 2012 3 डीएनजे 0 राज 0 पेज-1715 में स्पष्ट किया गया है। इसी सन्दर्भ में नजीर 2010 2 आरआरटी पेज-1458 पेशा की तथा निवेदन किया कि अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र मियाद के बाहर पेशा किया है जिसमें विलम्ब के कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किये हैं। इस कारण अपीलान्ट की अपील अबैट हो चुकी है कायम मुकाम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील प्रार्थना पत्र अबैटमेन्ट स्वीकार कर अबैट कर खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-3 सीपीसी पेशा किया है किन्तु आदेश-22 नियम-9 सीपीसी पेशा नहीं किया जिसके कारण अबैटमेन्ट को निरस्त किया जावे अपीलान्ट ने जो नजीर पेशा की है उसमें आदेश-22 नियम-9 सीपीसी पेशा किया गया है जिसमें उपशमन अमास्त करने का अनुतोष है। प्रस्तुत प्रकरण में यह प्रार्थना पत्र पेशा नहीं है तथा अपीलान्ट ने दफा-5 में जो तथ्य दर्ज किये हैं वो भी सन्तोषप्रद नहीं है ।

केवल यह कह देना की कानूनी बारिकियों की जानकारी सही होने से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेशा नहीं किया

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	<p>ही विद्वान वकील रेस्पोंडेंट ने जो नजीर पेशा की उसमें स्पष्ट किया गया है कि कायम मुकाम प्रार्थना पत्र समय सीमा पेशा नहीं किया गया तो अपील स्वतः ही अबैट हो जायेगी। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र कायम मुकाम बनाये जाने का पेशा किया जिसको स्वीकार किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र कायम मुकाम खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र अपील अबैटमेंट स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील अबैट होने पर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> ३१/११/१६ शुभंवरलाल मेहरड़ा भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</p>	